[2019] 8 एस. सी. आर 966

रेकिट बेंकिजर (भारत) प्राइवेट लिमिटेड

वी.

रींडर्स लेबल प्रिंटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

AND ANDR।

(2016 की मध्यस्थता (सिविल) संख्या 65 के लिए याचिका)

1 जुलाई, 2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 11 (5) , 11 (9) और 11 (12) (ए)-मध्यस्थता के लिए हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष

आवेदक के अनुसार, उत्तरदाताओं ने लेबल छापने के प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया था-इसके अनुसार, उत्तरदाता नं। 1 और आवेदक ने दिनांक 01.05.2014 का एक समझौता किया-यह टाल दिया गया कि मध्यस्थता समझौता दिनांक 01.05.2014 के समझौते का एक अभिन्न अंग था-प्रतिवादी नं। 2 01.05.2014 दिनांकित समझौते का एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष था -

पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-प्रत्यर्थी नं। 2 मध्यस्थता कार्यवाही में इस आधार पर शामिल किया गया था कि प्रतिवादी नं। 2 प्रतिवादी सं. की मूल/धारक कंपनी थी। 1 - - उत्तरदाता नं. 2 आवेदक द्वारा किए गए दावों का खंडन किया-आयोजितः तत्काल मामले में, आवेदक पर यह स्थापित करने का बोझ है कि प्रतिवादी नं। 2 मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति देने और पक्षकार होने का इरादा था, समझौते में क्षतिपूर्ति खंड को लागू करने के सीमित उद्देश्य के लिए हो सकता है, जो प्रतिवादी संख्या को संदर्भित करता है। 1 और आपूर्तिकर्ता समूह हानि, क्षति और व्यय के किसी भी दावे के विरुद्ध, चाहे वह आवेदक द्वारा कितना भी किया गया हो या पीड़ित हो और निर्दिष्ट मामले से या उसके संबंध में उत्पन्न हो-वह बोझ नहीं था

आवेदक द्वारा निर्वहन-इसके अलावा, प्रत्यर्थी सं। 2 दिनांकित समझौते से संबंधित वार्ता प्रक्रिया में कभी शामिल नहीं था-इस प्रकार, प्रतिवादी को प्रस्तावित मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है।

आवेदन का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. बयानों की पृष्ठभूमि में

आवेदन और उनके बीच आदान-प्रदान किया गया पत्राचार आवेदक द्वारा पक्षकारों को सूचित किया गया, यह स्पष्ट है कि आवेदक के दावे का जोर यह है कि एक 'एफ. आर.' प्रतिवादी संख्या 2 के लिए और उसकी ओर से कार्य कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी

सं. 2 ने मध्यस्थता समझौते को मंजूरी दे दी है। इस आधार को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा यह कहते हुए पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है कि 'एफआर' किसी भी तरह से प्रत्यर्थी संख्या 2 से जुड़ा नहीं था और केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 का एक कर्मचारी था, जिसने समझौते के निष्पादन से पहले बातचीत के दौरान उस क्षमता में काम किया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 न तो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता था और न ही समझौते से पहले की बातचीत की प्रक्रिया या उसके निष्पादन के साथ कोई कारण संबंध था। यदि आवेदक का मुख्य प्लैंक, वह 'एफ. आर.' प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए और उसकी ओर से काम कर रहा था और प्रत्यर्थी संख्या 2 का अधिकार था, तो वह गिर जाता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए।

अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करें कि प्रत्यर्थी संख्या 2 कथित समझौते का पक्षकार नहीं था और न ही उसने मध्यस्थता समझौते को सहमति दी थी और इसके अभाव में, भले ही प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनियों के उस समूह का एक घटक होता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 भी एक घटक है, जिसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि, यह स्थापित करने का भार आवेदक पर है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 का मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति देने और उसमें पक्षकार बनने का इरादा था, शायद समझौते में क्षतिपूर्ति खंड 9 को लागू करने के सीमित उद्देश्य के लिए, जो संदर्भित करता है

प्रत्यर्थी संख्या 1 और आपूर्तिकर्ता समूह नुकसान, क्षति और खर्च के किसी भी दावे के खिलाफ, चाहे वह किसी भी कारण से हुआ हो या पीड़ित हो।

आवेदक और उसमें निर्दिष्ट मामलों से या उनके संबंध में उत्पन्न होना। उस बोझ का निर्वहन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है

सभी। इस निष्कर्ष पर, यह अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 2 को प्रस्तावित मध्यस्थता के अधीन नहीं किया जा सकता है। कार्यवाही। विचाराधीन आवेदन के कथनों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के लिए इस तथ्य की जांच करना आवश्यक नहीं है कि कंपनियों के समूह के कौन से अन्य घटक,

जिनमें से उत्तरदाता एक हिस्सा हैं, उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया में भाग लिया था। [पैरा 9] [983-सी-एच; 984-ए-बी]

2. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी संख्या 2 कभी नहीं था

1 मई, 2014 के कथित समझौते से संबंधित वार्ता प्रक्रिया में शामिल। इस निष्कर्ष पर, प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आवेदन विफल होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप

जहाँ, एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित करने के प्रावधान, इस धारणा पर कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उत्तरदाता संख्या 1 के रूप में एक [2019] 8 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय कंपनी अधिनियम और भारत में इसका पंजीकृत कार्यालय होने के कारण, आवेदक मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ अपना उपाय कर सकता है। घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता के रूप में कार्यवाही। [पैरा 10] [984-बी-डी]

जल शोधन इंक. और अन्य। (2013) 1 एससीसी 641: [2012] 13 एस. सी. आर. 402; चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड

वी. कस्तूरी एंड संस लिमिटेड और अन्य। (2018) 16 एससीसी 413 [2018] 4 एस. सी. आर. 1063-पर निर्भर।

गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड और अन्र। वी. गुजरात राज्य

और एन. आर. (1975) 1 एससीसी 199: [1975] 2 एससीआर 42

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 13 एससीआर 402

उस पर भरोसा करें

पै

रा 1

[2018] 4 एससीआर 1063

उस पर भरोसा करें

पै

रा 1

[1975] 2 एससीआर 42

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः मध्यस्थता के लिए याचिका

(सिविल) 2016 की सं. 65।

अरविंद पी. दातार, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमर गुप्ता, आर. जवाहर

लाल, सिद्धार्थ बावा, श्यामल आनंद, अश्विनी कुमार, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

देवदथ कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , तेजास करिया, सुश्री इला कपूर, सुश्री श्रुति

सभरवाल, एस. एस. श्रॉफ, सुश्री मिताली दरयानी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इस आवेदन में शामिल एकल प्रश्न के तहत दायर किया गया

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 11 (5), 11 (9) और 11 (12) (ए) में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई है कि क्या प्रतिवादी संख्या 2-बेल्जियम के कानूनों के तहत स्थापित एक कंपनी, जिसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान निजवेरहेल्डस्ट्रेट 3,2530 बोचाउट, बेल्जियम है, को प्रस्तावित मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह आर. ई. सी. के. आई. टी. बी. एन. सी. आई. एस. ई. आर. (आई) पी. वी. टी. का एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष है।

लिमिटेड। वी. रींडर्स लेबल प्रिंटिंग (1) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

1 मई, 2014 का समझौता, आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1-कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित एक कंपनी के बीच निष्पादित,

2013 - केवल इसलिए कि यह (प्रत्यर्थी संख्या 2) समूह कंपनियों में से एक है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 भी एक घटक है। इस बारे में कानूनी स्थिति कि कब मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को शामिल किया जा सकता है और मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है, अब एकीकृत नहीं है। क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर के मामले में

शुद्धिकरण इंक. और ओआरएस। , इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि आम तौर पर, उन व्यक्तियों के बीच एक मध्यस्थता होती है जो मध्यस्थता समझौते के साथ-साथ इसके अंतर्निहित मूल अनुबंध दोनों के पक्षकार रहे हैं। "कंपनियों के समूह" के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह देखा गया कि एक मध्यस्थता समझौता एक द्वारा किया गया था

कंपनी, निगमित संस्थाओं के समूह के भीतर एक होने के नाते, कुछ परिस्थितियों में, अपने गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों को बांध सकती है। उस व्याख्या का पालन किया गया और इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम कस्तूरी एंड संस लिमिटेड और Ors.² 2 में इस निर्णय के पैराग्राफ 23 में पहले के फैसलों का विश्लेषण करने और क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में बताए गए सिद्धांत को शामिल करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

" 23. जैसे-जैसे कानून विकसित हुआ है, यह माना गया है कि आधुनिक व्यावसायिक लेनदेन अक्सर कई परतों के माध्यम से किए जाते हैं और

व्यावसायिक भावना जिसका उन्हें श्रेय दिया जाना था। इसलिए, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ हस्ताक्षर न करने वाले का संबंध, विषय-वस्तु की समानता और लेन-देन की समग्र प्रकृति जैसे कारक संतुलन में वजन करते हैं। कंपनियों का समूह सिद्धांत अनिवार्य रूप से है इसका उद्देश्य पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से आयोजित इरादे की पूर्ति को सुविधाजनक बनाना है, जहां परिस्थितियां इंगित करती हैं कि इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बांधना था। प्रयास व्यावसायिक व्यवस्था के वास्तविक सार को खोजने और उससे बाहर निकलने का है।

1 (2013) 1 एससीसी 641 2 (2018) 16 एससीसी 413 [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की एक स्तरित संरचना, बांधने का इरादा कोई ऐसा व्यक्ति जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन उसने मान लिया है कि

एक हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों से बाध्य होने का दायित्व। 2. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि उत्तरदाता हैं

"रेंडर्स लेबल प्रिंटिंग ग्रुप" के रूप में जानी जाने वाली कंपनियों के एक समूह के घटक। कंपनियों के उक्त समूह की घटक कंपनियों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित प्रस्तुति के साथ संलग्न चार्ट के रूप में अनुलग्नक आर-1/1 के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः

रेन्डर्स लेबल मुद्रण समूह

रेनेस्को इन्वेस्ट एन. वी.

रेनेस्को एन. वी.

रेन्डर्स रेन्डर्स

रेंडर्स

रेंडर्स

रेंडर्स

रेंडर्स

लेबल प्रिंटिन शिष्टाचार

टिकटों के शिष्टाचार

फार्मास्युटिकल

यह भी पढ़ें

एन. वी. (आर-2) कॉस्मेटिक्स एस. ए. लेबल एन. वी.

इंडिया प्रा.

पोलस्का एसपी जेड. ओ. ओ.

फ्रांस एसए

लिमिटेड (आर-1)

3. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में प्रदर्शनी को ध्यान में रखते हुए और

चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर), महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए निर्विवाद पत्राचार से प्रकट होता है,

1 मई, 2014 के समझौते में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच लेनदेन अनिवार्य रूप से कंपनियों के समूह के साथ थे और क्या दोनों पक्षों का हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों (क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2) को बांधने का स्पष्ट इरादा था। दूसरे शब्दों में, क्या निर्विवाद परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि पक्षकारों को हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों, क्रमशः प्रत्यर्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 2, को आवेदक और उक्त प्रत्यर्थी के बीच मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए बाध्य करना था।

4. धारा के साथ पठित संशोधित धारा 11 (6) के संदर्भ में

11 (6(क) अधिनियम के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहना चाहिए। न और न ही कम होता है। इसके लिए, हमें आवेदक द्वारा वर्तमान आवेदन में किए गए दावे पर लौटना होगा। यह ध्यान दिया जाए कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विचाराधीन आवेदन में आवेदक द्वारा किए गए दावों का खंडन करने के लिए कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है। तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने वकील के माध्यम से आग्रह किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को 1 मई, 2014 के विषय समझौते से कोई सरोकार नहीं है। वह समझौता केवल RECKITT BENCKISER (I) PVT के बीच है।

लिमिटेड। वी. रींडर्स लेबल प्रिंटिंग (I) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आवेदक और प्रत्यर्थी संख्या 1 और उसके परिणामस्वरूप, यह एक घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता को जन्म देगा न कि एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को।

वाणिज्यिक मध्यस्थता। उत्तरदाता संख्या 1 ने भी इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है।

अपने वकील के माध्यम से कि उसे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, यदि न्यायालय आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विवाद को हल करने के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करता है, जो दिल्ली में अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करेगा, केवल आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच एक घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता के रूप में।

5. जो भी हो, विचाराधीन आवेदन में किए गए अभिकथनों की ओर लौटते हुए, यह उल्लेख किया जाता है कि विवाद से उत्पन्न होता है -

3 " 13. विवाद समाधान 13.1 किसी भी मध्यस्थता प्रक्रिया की शुरुआत से पहले पक्षकार इसके द्वारा उन पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत के माध्यम से किसी भी विवाद को हल करने के लिए सद्भावना से प्रयास करने का वचन देते हैं जिनके पास इस तरह के विवाद को निपटाने का अधिकार है। किसी भी वृद्धि सूचना की एक प्रति प्रत्येक पक्ष या उनके सहयोगियों के क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष (या वरिष्ठता के समकक्ष व्यक्ति) को दी जाएगी (जिसकी प्रति में कहा जाएगा कि यह इस समझौते के अनुसार एक वृद्धि सूचना है)। बशर्ते कि वार्ता वृद्धि सूचना की तारीख के तीस (30) दिनों के भीतर या ऐसी लंबी अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जिस पर पक्षकार समाप्ति से पहले लिखित रूप में सहमत हों। प्रारंभिक तीस दिन की अवधि। 13.2 यदि इस तरह के विवाद के शुरू होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर विवाद का समाधान नहीं किया जाता है, तो विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और पक्षकार पारस्परिक रूप से एक एकल मध्यस्थ नियुक्त करेंगे जो भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अनुसार कार्यवाही का संचालन करेंगे जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है या उसके किसी भी पुनः अधिनियम के अनुसार। मध्यस्थता दिल्ली में आयोजित की जाएगी और कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएगी।

13.3 पक्षों के बीच इस समझौते के संबंध में विवाद का अस्तित्व किसी भी पक्ष को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन से राहत नहीं देगा जो इस तरह के विवाद का विषय नहीं हैं।

4 " 9. क्षतिपूर्ति 9.1 आपूर्तिकर्ता और आपूर्तिकर्ता समूह किसी भी दावे, नुकसान, नुकसान और खर्च के खिलाफ आर. बी. को क्षतिपूर्ति करेंगे, चाहे वह आर. बी. (और चाहे प्रत्यक्ष या परिणामी या आर्थिक नुकसान) से या उसके संबंध में उत्पन्न हो।

(i) दोषपूर्ण कारीगरी, गुणवत्ता या सामग्री; (ii) उत्पादों के उपयोग, निर्माण या आपूर्ति के कारण किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन या कथित उल्लंघन; और [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया। 'ड्रग फैक्ट्स' और अन्य विवरण जो पिछले लेबल पर छापे जाने थे, वे यू. एस. ए. के कानूनों के अनुसार थे और उत्तरदाता इस तथ्य से अवगत थे कि म्यूसिनेक्स की आपूर्ति यू. एस. ए. के बाजार के लिए है। आवेदक ने 29 मई, 2013 को आवेदक के अधिकारियों और प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के कार्यवृत्त पर भरोसा किया। तदनुसार, उत्तरदाताओं ने आवेदक के लिए लेबल छापने की अपनी क्षमता के बारे में एक प्रस्तुति दी, जिसमें वांछित पुस्तिका और पत्रक लेबल शामिल थे और अपने उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में कई अभ्यावेदन किए। आवेदक का कहना है कि उत्तरदाताओं ने समझौते के निष्पादन के संबंध में विस्तृत बातचीत की थी जिसके तहत उत्तरदाताओं को प्रदान करना था आवेदक और उसके सहयोगियों को पैकेजिंग सामग्री। बातचीत के आधार पर, आवेदक ने 23 अप्रैल, 2014 को ई-मेल द्वारा आचार संहिता और रिश्वत विरोधी नीति के साथ समझौते का एक मसौदा प्रसारित किया।

आवेदक। आवेदक का कहना है कि प्रत्यर्थियों ने श्री फ्रेडरिक रेंडर्स (प्रत्यर्थी संख्या 2 की प्रवर्तक जो प्रत्यर्थी संख्या 1 की मूल कंपनी है) के माध्यम से 23 अप्रैल, 2014 को 12 बजे अपने ई-मेल के माध्यम से इसका जवाब दियाः 00 पीएम। श्री फ्रेडरिक रेंडर्स द्वारा भेजे गए उक्त ई-मेल का आवेदक ने 23 अप्रैल, 2014 को 12 बजे जवाब दियाः 10 पीएम। इसके अलावा, श्री फ्रेडरिक रेंडर्स, 23 अप्रैल, 2014 को 4 बजे अपने ई-मेल द्वाराः 09 प्रधानमंत्री,

बेल्जियम में उत्तरदाताओं के मुख्यालय से कुछ टिप्पणियों के साथ मसौदे की एक प्रति संलग्न की गई (प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ)। आवेदक के अनुसार, प्रतिवादी संख्या की क्षतिपूर्ति से संबंधित मसौदा समझौते के खंड 9 से संबंधित टिप्पणियां। 1 & 2. तब यह

(iii) इस आपूर्तिकर्ता द्वारा इस समझौते की शर्तों के प्रदर्शन में लापरवाही या विफलता या देरी।

आई. इस समझौते के अन्य प्रावधानों के नियमों और शर्तों के कथित उल्लंघन से उत्पन्न होना। ii. किसी भी आरोप के आधार पर कि उत्पाद का उपयोग करके आरबी द्वारा उत्पादित सामग्री दोषपूर्ण थी (जिसमें विनिर्माण या शोधन दोष शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं); ये प्रावधान इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे। रेकिट बेंकिजर (I) पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. रींडर्स लेबल प्रिंटिंग (1) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उन्होंने कहा कि उसी ई-मेल में श्री फ्रेडरिक रेंडर्स ने जवाब दिया था

मसौदा समझौते के खंड 9.1 के संबंध में, आवेदक को उनके अधिकतम कवरेज के बारे में सूचित करने के लिए बीमा का एक दस्तावेज प्रदान करने का प्रस्ताव। इस आधार पर, यह दावा किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस तथ्य से अवगत था कि आवेदक को क्षतिपूर्ति दी जा रही है और प्रत्यर्थी संख्या 2 वह प्रकटित मूलधन था जिसकी ओर से प्रत्यर्थी संख्या 1 समझौते को निष्पादित कर रहा था। यह भी कहा जाता है कि मध्यस्थता समझौता समझौते का एक अभिन्न अंग था

आवेदक और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच, उसकी ओर से और उसके प्रकटित मूलधन, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से निष्पादित किया गया। आवेदक ने तब दावा किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवेदक को 6 जून, 2014 को एक ई-मेल भेजा था, जिसमें समझौते की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न की गई थी और आगे कहा गया था कि हार्ड कॉपी आवेदक को दी जाएगी। ऊपर निर्दिष्ट आवेदन में प्रासंगिक कथन पैराग्राफ 7.7 से 7.12 में व्यक्त किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

7.8 उत्तरदाताओं ने बाद में आवेदक के लिए लेबल छापने की अपनी क्षमता के बारे में एक प्रस्तुति दी, जिसमें पुस्तिका और पत्रक लेबल (संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए गए म्यूसिनेक्स के लिए आवश्यक) शामिल थे। इस दौरान व्यक्तिगत बैठक और प्रस्तुति में, उत्तरदाता

यह दर्शाता है कि वे दुनिया भर में लेबल प्रिंटिंग में बाजार के अग्रणी हैं और वे स्वयं के लिए रचनात्मकता और नवाचार प्रदान करते हैं

चिपकने वाले लेबल। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने प्रतिनिधित्व किया कि भारत में रेयंडर्स लेबल प्रिंटिंग उपयुक्त समाधान प्रदान करती है

गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, आईएसओ 15010) के अनुरूप शीशियों पर पूर्ण आसंजन सहित प्रतिवादी की सभी आवश्यकताओं, प्रत्येक लेबल को विनिर्देशों के अनुसार मुद्रित किया जाता है) और प्रत्येक लेबल की संख्या निर्धारित की जाती है। उत्तरदाताओं ने पुस्तिका और पत्रक लेबल छापने की पेशकश की "एक पैकेजिंग पर अतिरिक्त जानकारी डालने के लिए जहां पाठ या छवियों के लिए उपलब्ध स्थान सीमित है"।

आगे विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह के पुस्तिका लेबल में एक बहु-पृष्ठ पुस्तिका होती है, जिसे पीछे से चिपकाया जाता है, जिसका उपयोग दवा उद्योग में किया जाता है। सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का पालन करने और बनाए रखने के उद्देश्य से, उत्तरदाताओं ने प्रतिनिधित्व किया कि मुद्रित लेबलों का निरीक्षण एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जिसमें "500 100% कैमरा नियंत्रित निरीक्षण प्रणाली, पीछे की ओर ऑनलाइन संख्या और ऑफ़लाइन संख्या के लिए इकाइयाँ" शामिल होती हैं। इसके अलावा, गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में, उत्तरदाताओं ने आवेदक का प्रतिनिधित्व किया कि वे प्रदान करते हैं

7.9 अंतराल में, आवेदक ने एक आपूर्ति में प्रवेश किया भारत में इसके सहयोगी के साथ 16 अप्रैल, 2014 का समझौता। , आरबी हेल्थकेयर। आवेदक और आर. बी. हेल्थकेयर दिनांक 16.04.2014 के बीच निष्पादित आपूर्ति समझौते की सही टाइप की गई प्रति अनुलग्नक ए-4 (पृष्ठ 157 से 189 पर) के रूप में संलग्न है।

7.10 आवेदक और उत्तरदाताओं ने एक समझौते के निष्पादन के संबंध में विस्तृत बातचीत की, जिसके तहत उत्तरदाताओं को आवेदक और उसके सहयोगियों को पैकेजिंग सामग्री प्रदान करनी थी। बातचीत के आधार पर, आवेदक ने 23 अप्रैल, 2014 को ईमेल द्वारा आवेदक की आचार संहिता और रिश्वत विरोधी नीति के साथ समझौते का एक मसौदा प्रसारित किया। आवेदक द्वारा उत्तरदाताओं को संबोधित ईमेल 23.04.2014 की सही टाइप की गई प्रति अनुलग्नक ए-5 (पृष्ठ 190 से 191 पर) के रूप में संलग्न है। आवेदक ने उत्तरदाताओं से म्यूसिनेक्स लेबल के निष्पादित विनिर्देशों की एक प्रति और म्यूसिनेक्स लेबल के लिए मूल्य निर्धारण/लागत समझौते की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करने का भी अनुरोध किया। यह बताना प्रासंगिक है कि मसौदा समझौते के खंड 9 में विशेष रूप से कहा गया है कि "आपूर्तिकर्ता और आपूर्तिकर्ता समूह क्षतिपूर्ति करेंगे।

आर. बी. किसी भी दावे, नुकसान, नुकसान और खर्च के खिलाफ

लापरवाही प्रदर्शन या विफलता या देरी के कारण या उसके संबंध में आर. बी. (और चाहे प्रत्यक्ष या परिणामी या आर्थिक नुकसान) से कितना भी नुकसान हुआ हो।

आपूर्तिकर्ता द्वारा इस समझौते की शर्तों का निष्पादन।

7.11 जवाब में, श्री फ्रेडरिक के माध्यम से उत्तरदाताओं ने रेन्डर्स (प्रतिवादी संख्या 2 के प्रवर्तक जो मूल सी. के. आई. टी. टी. बेनकिसर (I) पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. रींडर्स लेबल प्रिंटिंग (1) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उत्तरदाता संख्या 1) ने अपने ईमेल के माध्यम से 23 अप्रैल, 2014 को 12 बजे जवाब दियाः 00 पी एम। श्री फ्रेडरिक रेंडर्स द्वारा आवेदक को संबोधित 23 अप्रैल, 2014 के ईमेल की सही टाइप की गई प्रति है अनुलग्नक ए-6 (पृष्ठ 192 पर) के रूप में संलग्न। श्री फ्रेडरिक रेंडर्स द्वारा भेजे गए उक्त ईमेल का जवाब दिया गया था

193) . इसके अलावा, श्री फ्रेडरिक रेंडर्स ने 23 अप्रैल, 2014 को दोपहर 1 बजे अपने ईमेल के माध्यम से "बेल्जियम में हमारे मुख्यालय की कुछ टिप्पणियों" के साथ मसौदा समझौते की एक प्रति संलग्न की। नंबर 2 यहाँ) "। श्री फ्रेडरिक रेंडर्स द्वारा आवेदक को भेजे गए टिप्पणी समझौते के साथ 23 अप्रैल, 2014 के ईमेल की सही टाइप की गई प्रति अनुबंध ए-8 (पृष्ठ 194 पर) के रूप में संलग्न है। प्रतिवादी Nos.1 और 2 द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति से संबंधित मसौदा समझौते के खंड 9 से संबंधित टिप्पणियां। उसी ईमेल में, श्री रेन्डर्स ने यह भी कहा कि मसौदा समझौते के खंड 9.1 के लिए, "मैं प्रदान करूंगा।

हमारे अधिकतम कवरेज के बारे में आपको सूचित करने के लिए आपके पास हमारे बीमा का एक दस्तावेज है। उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस तथ्य से अवगत था कि आवेदक को क्षतिपूर्ति दी जा रही है और यह तथ्य कि प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रकटित मूलधन है, जिसकी ओर से प्रत्यर्थी संख्या 1 समझौते को निष्पादित कर रहा है। इस संबंध में यह बताना प्रासंगिक है कि

मध्यस्थता समझौता आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच निष्पादित समझौते का एक अभिन्न अंग है। इसलिए, मध्यस्थता समझौते को भी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उसकी ओर से और उसके प्रकटित मूलधन यानी प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से निष्पादित किया गया है।

7.12 आगे की चर्चाओं के बाद, उत्तरदाता संख्या 1,

उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से और उसके माता-पिता की ओर से और घोषित प्रिंसिपल-रेन्डर्स बेल्जियम) ने 1 मई, 2014 को समझौते को निष्पादित किया और उसे आवेदक को भेज दिया। इस संदर्भ में यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवेदक को 6 जून, 2014 को एक ईमेल भेजा था

समझौते की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना और आगे यह बताना कि हार्ड कॉपी आवेदक को दी जाएगी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आवेदक को भेजे गए 6 जून, 2014 के ईमेल की सही टाइप की गई प्रति अनुलग्नक ए-9 (पृष्ठ [2019] 8 एस. सी. आर. पर) के रूप में संलग्न है।

195) . बाद में आवेदक द्वारा समझौते का निष्पादन किया गया।

और एक हार्ड कॉपी, उत्तरदाताओं को भेजी गई।

(जोर दिया गया)

6. हम संदर्भित पत्राचार को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं।

विचाराधीन आवेदन के उपरोक्त पैराग्राफ, के लिए

आवेदक द्वारा बनाए गए मामले में कि क्या प्रतिवादी

कहा जा सकता है कि उन्होंने सहमति दी थी या पार्टी बनने का इरादा था

इसके आचरण द्वारा मध्यस्थता समझौता, एक हस्ताक्षरकर्ता होने के बिना

ग्रीमेंट दिनांक 1 मई, 2014। द्वारा निर्दिष्ट अनुलग्नक-5 से 9 इस प्रकार नहीं पढ़ सकतेः

" अनुलग्नक ए-5

सेः जोशी, सोनू [मेलः सोनू। Joshi@rb। कॉम]

भेजा गयाः 23 अप्रैल 2014 को 10: 38

करने के लिएः फ्रेडरिक रेन्डर्स

विषयः वाणिज्यिक समझौता रुक जाता है-आरबी एंड रेंडर्स

प्रिय फ्रेडरिक, हमारी वैश्विक खरीद नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार,

आपूर्तिकर्ता। तदनुसार, कृपया निम्नलिखित दस्तावेज खोजेंः तत्काल साइन-ऑफ करें।

1. आचार संहिता

2. रिश्वत-रोधी और

3. वाणिज्यिक समझौता (पैकिंग सामग्री आपूर्ति समझौता) उपरोक्त के साथ, कृपया हस्ताक्षरित विवरणों की एक प्रति संलग्न करें।

म्यूसिनेक्स लेबल और हमारे मूल्य निर्धारण/लागत की हस्ताक्षरित प्रति

म्यूसिनेक्स लेबलों पर समझौता।

कृपया वाणिज्यिक समझौते के माध्यम से जाएं, सभी प्रासंगिक प्रदान करें

विवरण अर्थात कंपनी का नाम, पता, आपूर्ति/एम. एफ. जी. स्थान, विवरण किए गए उत्पादों, सहमत भुगतान शर्तें आदि।	निर्मित/आपूर्ति
कंपनी ने हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रतियों के साथ प्रति पर मुहर लगा दी	आचार संहिता और रिश्वत विरोधी नीतियाँ।

सीकिट बेंकिजर (I) पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. रेन्डर्स एल. प्रिंटिंग (I) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.

किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए, कृपया मुझसे संपर्क करें।

आपसे अनुरोध है कि आप हमें नवीनतम अप्रैल 2014 के सभी दस्तावेजों को ईमेल/भेजें और अगर पहले ऐसा होता तो वास्तव में इसकी सराहना की जाती। आदरपूर्वक,

सोनू देव जोशी

प्लॉट-48, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर-32, गुड़गांव-1220 डायरेक्ट-91-124-4028197; मोबाइल + 91 85273-99487

डब्ल्यू. डब्ल्यू. रेकिटबेंकिसर। कॉम

एनेक्सू

23-अप्रैल-2014 को 12 बजेः 00 पी एम। , " फ्रेडरिक रेंडर्स "

< fre@reynders। com> ने लिखाः

प्रिय सोनू,

हम आपको पहले ही सभी पूर्ण दस्तावेज प्रदान कर देंगे। 14 दिनों के प्रमुख समय का अत्यधिक अनुरोध किया जाता है और आर. बी. एफ. ए. पर डिलीवरी तक पी. ओ. की प्राप्ति के बाद पर्चे के लेबल की फिर से सिफारिश की जाती है।

बद्दी।

सादर नमन, फ्रेडरिक रेंडर्स

रेन्डर्स _ लेबल प्रिंटिंग इंडिया प्रा. लि. लि.

डब्ल्यू. डब्ल्यू. पुनर्विक्रेता। कॉम

एनेक्सू

भेजा गयाः 23 अप्रैल 2014 को 12: 10 करने के लिएः फ्रेडरिक रेन्डर्स

सीसीः कारी वांडेनबुशे [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विषयः रीः वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर-ऑफ-आरबी और रेंडर्स

हाय फ्रेडरिक

धन्यवाद. हम (मैं और आप) प्रमुख समय पर चर्चा करेंगे, कुछ बफर दिनों में संरेखित करेंगे और बी. ए. डी. डी. आई. योजना के लिए आधिकारिक प्रमुख समय प्रकाशित करेंगे।

टीम।

अनौपचारिक या वास्तविक/क्रैश/स्क्वीज़ लीड टाइम हम तीनों के बीच रहना चाहिए। सम्मान।

सोनू देव जोशी

प्रबंधक-पीएम प्रोक्योरमैन

आरबी

अनुलग्नक ए-8

सेः फ्रेडरिक रेन्डर्स [मेल करने के लिएः fre@reynders। कॉम]

भेजा गयाः बुधवार, 23 अप्रैल, 2014 4: 09 पीएम

करने के लिएः जोशी, सोनू सीसीः कारी वैंडेनबुशे

विषयः आरईः वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर-ऑफ-आरबी और रेंडर्स प्रिय सोनू,

कृपया हमारी कुछ टिप्पणियों के साथ अनुबंध संलग्न करें।

बेल्जियम में मुख्यालय। हम हम तीनों के बीच एक यथार्थवादी और आवश्यक नेतृत्व समय पर चर्चा करेंगे और सहमत होंगे।

9. 1 के लिए। हम आपको हमारे अधिकतम कवरेज के बारे में सूचित करने के लिए अपने बीमा का एक दस्तावेज प्रदान करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। किसी भी प्रश्न के मामले में कॉल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।

फ्रेडरिक रेंडर्स

रेन्डर्स _ लेबल प्रिंटिंग इंडिया प्रा. लि. लि. डब्ल्यू. डब्ल्यू. पुनर्विक्रेता।

कॉम रेकिट बेंकिजर (I) पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. रींडर्स लेबल प्रिंटिंग (I) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुलग्नक ए-9

सेः कारी वांडेनबुशे [मेल करने के लिएः fre@reynders। कॉम]

भेजा गयाः शुक्रवार, जून 06,2014 4: 38 पीएम

सीसीः फ्रेडरिक रेन्डर्स

विषयः एफडब्ल्यूः वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर-ऑफ-आरबी और रेंडर्स

प्रिय श्री सोनू जोशी,

संलग्न आपको कंपनी स्टाम्प के साथ हस्ताक्षरित समझौता मिलता है,

हार्ड कॉपी आज गुड़गांव में आपके आर एंड बी कार्यालय में वितरित की जाएगी।

सादर नमन,

कारी वैंडेनबुशे

प्लॉट नं. एफ 686-चोपांकी इंड। क्षेत्र चोपांकी 301019-भिवाड़ी-राजस्थान

टी + 91 987 1024 467

एम + 91 987 102 4467

एफ + 91 149 330 5403

डब्ल्यू. डब्ल्यू. पुनर्विक्रेता। कॉम "

(जोर दिया गया)

7. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और जोरदार तरीके से

आवेदक द्वारा किए गए इस दावे का खंडन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की मूल या धारक कंपनी है। यह कहा गया है कि प्रतिवादी

नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 दोनों रेयंडर्स लेबल प्रिंटिंग का हिस्सा हैं।

समूह। यह समूह सात मुद्रण कंपनियों का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित समूह है और इनमें से प्रत्येक कंपनी की अपनी अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं और स्वतंत्र रूप से विभिन्न कार्यालयों में काम करती है। इसके अलावा, ये कंपनियाँ केवल एक सामान्य मूल इकाई साझा करती हैं, अर्थात् रेनेस्को एन. वी. जो दोनों प्रतिवादी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी भी है। पहला, प्रत्यर्थी संख्या 2 की भारत में कोई उपस्थिति या

संचालन नहीं था और वह समझौते की बातचीत, निष्पादन और/या प्रदर्शन में शामिल नहीं था। आवेदक और [2019] 8 एस. सी. आर. के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है।

एनडेंट नंबर 2। दूसरा, प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि श्री फ्रेडरिक रेंडर्स एन. डी. एन. नंबर 2 के प्रवर्तक नहीं थे। हालांकि, श्री फ्रेडरिक रेंडर्स एक कर्मचारी थे।

शानदार नंबर. 1। कथित समझौते के हस्ताक्षरकर्ता, श्री कारी एनबुशे ने न तो एन. डी. एन. 2 के लिए किसी भी प्रबंधकीय कार्यों का प्रयोग किया था, न ही वह एक अधिकृत प्रतिनिधि या निदेशक स्पॉन्डेंट नंबर 2 थे जिनके पास उक्त प्रतिवादी को नियुक्त करने का कोई अधिकार था।

जवाबी हलफनामे का सार इस प्रकार हैः

" जवाब देने वाले ने ऐसा नहीं किया

निगमन भागीदारी में भाग लें

समझौता

15. यह कहना गलत है कि उत्तरदाता किसी भी समय समझौते के संबंध में बातचीत में शामिल था। उत्तरदाता ने कोई प्रस्तुति या अभ्यावेदन नहीं किया

आवेदक। आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेजों से, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उत्तरदाता ने कभी भी आवेदक के सामने कोई प्रस्तुति दी या कथित समझौते की तारीख से पहले किसी भी बैठक में उपस्थित था। 16. आवेदक द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उसके विपरीत, उत्तरदाता ने समझौते के मसौदे पर कोई टिप्पणी नहीं की। जवाब देने वाला प्रत्यर्थी प्रस्तुत करता है कि उसे दिनांकित 23.04.2014 ई-मेल के बारे में जानकारी नहीं है,

जैसा कि आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है। उत्तरदाता संख्या 1 ने नहीं किया

समझौते के मसौदे पर उत्तर देने वाले उत्तरदाता की टिप्पणियों के लिए उत्तर देने वाले उत्तरदाता को दिनांकित 23.04.2014 का ई-मेल या ऐसा कोई ई-मेल अग्रेषित करें। संदर्भ बेल्जियम में मुख्यालय उत्तर का संदर्भ नहीं है

उत्तरदाता। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जवाब प्रत्यर्थी होल्डिंग की सात सहायक कंपनियों में से एक है।

कंपनी रेनेस्को एन. वी. 17. जवाब देने वाला प्रत्यर्थी प्रस्तुत करता है कि वह समझौते से संबंधित किसी भी बातचीत में पक्षकार नहीं था। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले श्री कार्ल वैंडेनबुशे और श्री फ्रेडरिक

रेन्डर्स, जिन पर आरोप है कि उन्होंने

समझौते के संबंध में बातचीत नहीं हुई थी किसी भी सी. के. आई. टी. बी. एन. सी. आई. एस. ई. आर. (आई) पी. वी. टी. में प्रतिनिधित्व (या प्रतिनिधित्व करने के लिए) या कार्य करना।

लिमिटेड। वी. रींडर्स लेबल प्रिंटिंग (I) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उत्तरदाता प्रत्यर्थी के लिए रास्ता, और उनके पास उत्तरदाता प्रत्यर्थी को बांधने का कोई अधिकार नहीं था।

18. उत्तरदाता का वर्तमान विवाद से कोई संबंध नहीं है जो समझौते की बातचीत, निष्पादन या प्रवर्तन के लिए किसी भी क्षमता में एक पक्ष नहीं रहा है।

उत्तरदाता सं. 1 के पास उत्तरदाता को बांधने का कोई अधिकार नहीं था और उसने उत्तरदाता के स्वयं पर समझौते को समाप्त नहीं किया। 19. समझौते के हस्ताक्षरकर्ता श्री कार्ल वैंडेनबुशे हैं, जिन्होंने किसी भी समय उत्तरदाता के लिए किसी भी प्रबंधकीय कार्यों का प्रयोग नहीं किया। श्री वैंडेनबुशे कभी भी अधिकृत नहीं रहे हैं

उत्तरदाता प्रत्यर्थी का प्रतिनिधि या निदेशक, जिसे उत्तरदाता प्रत्यर्थी को बाध्य करने का कोई अधिकार है।

20. इसके अलावा, श्री फ्रेडरिक रेंडर्स, जिन पर समझौते के संबंध में बातचीत करने का आरोप है, गलत तरीके से उत्तरदाता के प्रवर्तक के रूप में वर्णित किया गया है। श्री फ्रेडरिक रेंडर्स उत्तरदाता के कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि नहीं थे और न ही कभी रहे हैं।

उत्तरदाता प्रत्यर्थी रेयंडर्स इंडिया की मूल कंपनी नहीं है और किसी भी समय श्री फ्रेडरिक रेयंडर्स को उत्तरदाता प्रत्यर्थी या उस मामले के लिए रेयनेस्को एन. वी. द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। स्पष्ट रूप से, श्री फ्रेडरिक रेंडर्स उत्तरदाता उत्तरदाता के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, और उत्तरदाता उत्तरदाता को बांधने का कोई अधिकार नहीं था। आवेदक द्वारा संलग्न संचार और दस्तावेजों से, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि श्री वैंडेनबुशे या श्री फ्रेडरिक रेंडर्स ने प्रतिनिधित्व किया था स्वयं उत्तरदाता प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि या उत्तरदाता प्रत्यर्थी के लिए कार्य करने वाले अधिकृत व्यक्ति होने के लिए।

समझौते की बातचीत, निष्पादन या प्रवर्तन। इसलिए, आवेदक का निवेदन है कि समझौता था

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित किया गया है

गलत है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, उत्तरदाता उत्तरदाता था

आवेदक और के बीच बातचीत में कभी भी भागीदार नहीं

प्रत्यर्थी संख्या 1 "।

(जोर दिया गया)

8. आवेदक ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें यह अस्पष्ट है

कि श्री फ्रेडरिक रेंडर्स, वार्ता के चरण के दौरान

उत्तरदाता के प्रतिनिधियों से निर्देश ले रहा था

. उक्त शपथपत्र के पैराग्राफ 10 से 12 में,

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा लिया गया, आवेदक ने इस प्रकार कहा हैः

उत्तरदाताओं ने उस समय आवेदक से संपर्क किया था 'रेंडर्स' के साझा बैनर तले समझौते की बातचीत

लेबल प्रिंटिंग 'और उस क्षमता में एक प्रस्तुति दी थी आवेदक। वास्तव में, उत्तरदाता खुद को एक के रूप में विपणन करते हैं

लेबल प्रिंटिंग कंपनी, मुद्रण विभिन्न माध्यमों से निष्पादित किया जा रहा है

दुनिया भर की साइटें।

11. पैरा 16-18 की सामग्री गलत है और अस्वीकार की गई है। यह एक

अभिलेख की बात कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सक्रिय रूप से भाग लिया था

समझौते की बातचीत में। यह रिकॉर्ड की बात है।

(आवेदन के पृष्ठ 194 पर अनुलग्नक ए-8) कि प्रत्यर्थी संख्या 1

समझौते की बातचीत। वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 2 श्री क्रिस्टोफ वैंडेनब्रुक के माध्यम से टिप्पणियाँ साझा की गई थीं

समझौते पर। श्री क्रिस्टोफ वैंडेनब्रुक

बाद में आयोजित वृद्धि बैठक में भाग लिया एम्स्टर्डम में विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कि

दलों के बीच उत्पन्न हुए हैं। उसी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना,

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अप्रासंगिक है कि प्रतिवादी है या नहीं।

सं. 2 ने समझौते की बातचीत में भाग लिया। जैसा कि विस्तार से बताया गया है। प्रारंभिक प्रस्तुतियों में, निर्विवाद प्रमाण है कि

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने समझौते पर सहमति दे दी है।

रेकिट बेंकिजर (I) पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. रींडर्स लेबल प्रिंटिंग (1) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

12. पैरा 19-22 की सामग्री गलत है और अस्वीकार की गई है। यह एक

अभिलेख का विषय (पृष्ठ 194 पर अनुलग्नक ए-8)

आवेदन) कि श्री फ्रेडरिक रेंडर्स, मंच के दौरान समझौते की बातचीत का, निर्देश ले रहा था

प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधियों से। किसी भी मामले में, जैसे

यहाँ ऊपर प्रदर्शित किया गया है, प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया है कि क्षतिपूर्ति खंड के तहत दायित्व, इसकी सीमित आपत्ति

उसके अधीन उसके दायित्व की सीमा। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी संख्या 2

एम्स्टर्डम में आयोजित वृद्धि बैठकों में भाग लिया था मध्यस्थता खंड के तहत। स्पष्ट रूप से जवाब के तहत पैराग्राफ

यह एक विचार है "।

(जोर दिया गया)

9. आवेदन में कथनों की पृष्ठभूमि में और

जो भी हो। यदि आवेदक का मुख्य प्लैंक, कि श्री फ्रेडरिक रेंडर्स प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए और उसकी ओर से कार्य कर रहे थे और प्रत्यर्थी संख्या 2 का अधिकार रखते थे, ध्वस्त हो जाता है, तो यह आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 कथित समझौते का पक्षकार नहीं था और न ही था मध्यस्थता समझौते को स्वीकृति दी गई और उसके अभाव में, भले ही प्रत्यर्थी संख्या 2 उन कंपनियों के समूह का एक घटक हो जिनमें प्रत्यर्थी संख्या 1 भी एक घटक है, जिसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि, यह स्थापित करने का भार आवेदक पर है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 का मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति देने और उसमें पक्षकार बनने का इरादा था, शायद समझौते में क्षतिपूर्ति खंड 9 को लागू करने के सीमित उद्देश्य के लिए, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और आपूर्तिकर्ता समूह को नुकसान, क्षति और व्यय के किसी भी दावे के खिलाफ संदर्भित करता है, चाहे वह आवेदक द्वारा कितना भी किया गया हो या पीड़ित हो और उसमें निर्दिष्ट मामलों से या उनके संबंध में उत्पन्न हो। उस बोझ को [2019] 8 एस. सी. आर. द्वारा पूरा नहीं किया गया है।

विचाराधीन आवेदन में दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए इस तथ्य की जांच करना आवश्यक नहीं है कि कौन सा अन्य घटक है कंपनियों के समूह, जिनमें से उत्तरदाता एक हिस्सा हैं, ने बातचीत प्रक्रिया में भाग लिया था।

10. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी संख्या 2 पहली तारीख के बताए गए समझौते से संबंधित बातचीत प्रक्रिया में कभी शामिल नहीं था।

मई, 2014। इस निष्कर्ष पर, प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आवेदन विफल होना चाहिए और जिसके परिणामस्वरूप, एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित करने के प्रावधान, इस धारणा पर कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है, को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उत्तरदाता संख्या 1 के रूप में एक कंपनी है जिसे भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।

कंपनी अधिनियम और भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय होने के कारण, आवेदक घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता के रूप में मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ अपना उपाय कर सकता है।

11. वास्तव में, आवेदक ने अनुबंध के बाद की परिस्थितियों और पत्राचार पर दृढ़ता से भरोसा किया था, लेकिन यह मुद्दे में मामले का जवाब देने का आधार नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. में प्रदर्शनी पर न्यायसंगत रूप से भरोसा किया है। बनाम गुजरात राज्य और अन्र। , 5 इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि कानून में बातचीत के बाद प्रतिवादी संख्या 2 आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच सीमित मध्यस्थता समझौते को बाध्य नहीं करेगा। किसी भी मामले में, यह याचिका भी इस धारणा पर आधारित है कि श्री फ्रेडरिक रेंडर्स प्रत्यर्थी संख्या 2 से जुड़े थे और उनके पास प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से लेन-देन करने का अधिकार था, जिसका प्रतिवाद प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किया गया है और खंडन किया गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री फ्रेडरिक रेंडर्स न तो प्रतिवादी संख्या 2 से जुड़े थे और न ही उनके पास कोई अधिकार था, बल्कि वे केवल प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारी थे और उन्होंने केवल उस क्षमता में काम किया।

12. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके लिए अन्य विवादों पर विस्तार करना अनावश्यक है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि आवेदन विफल होना चाहिए

प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध और उस निष्कर्ष पर, उस आवेदक को कोई राहत नहीं दी जा सकती है जिसने इस धारणा पर इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का मामला है। इसके बावजूद, प्रतिवादी नंबर 1 ने वकील के माध्यम से आग्रह किया है कि विषय के रूप में

5 (1975) 1 एस. सी. सी. 199 रेकिट बेंकिजर (I) पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. रींडर्स लेबल प्रिंटिंग (1) पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आवेदक और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच समझौते में एक मध्यस्थता खंड (खंड 13) शामिल है और चूंकि उनके बीच विवाद उत्पन्न हुए हैं, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 इस न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता के रूप में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत होगा।

मौखिक दलीलों के समापन के बाद प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में इस रुख को दोहराया गया है। नतीजतन, भले ही प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आवेदक को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, हम न्याय के हित में निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 13. प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध मध्यस्थता आवेदन खारिज कर दिया जाता है। लेकिन हम श्री बदर दुरेज अहमद (पूर्व न्यायाधीश) को नियुक्त करते हैं।

मुख्य न्यायाधीश, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय) 1996 के अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच नई दिल्ली में घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में। 14. आवेदन का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं। सभी लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

आवेदन का

निपटारा कर दिया गया।